

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2021


क्रमांक एफ 1-3/2016/41-2 : विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2018 द्वारा जारी की गयी "मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन योजना 2016" की कडिका 4 (f) में उल्लेखित आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम, व आईटीआईए डेव्हलपर को जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र फार्म- 20, 21, 22, 23 में संशोधन करते हुए, राज्य शासन उक्त प्रमाण-पत्रों में उल्लेखित "प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक से 5 वर्ष तक वैध रहने" संबंधी कडिका को विलोपित करते हुए उक्त के स्थान पर निम्नानुसार कडिका प्रतिस्थापित करता है :-

" यह प्रमाण-पत्र इकाई के आईटी, आईटीईएस ईएसडीएम एवं आईटीआईए गतिविधियों में शामिल रहने तक वैध रहेगा। तथापि यदि इकाई 5 वर्ष की अवधि तक आईटी, आईटीईएस ईएसडीएम एवं आईटीआईए गतिविधियों का संचालन प्रारंभ नहीं करती है तो प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो जावेगी।

2 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के द्वारा किया गया संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012(यथा संशोधित 2014) एवं "मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016" के अधीन जारी समस्त आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम, आईटीआईए डेव्हलपर प्रमाण-पत्रों पर लागू होगा।

3 उपरोक्त संशोधन उपरान्त संशोधित प्रमाण-पत्र फार्म- 20, 21, 22, 23 संलग्न है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(विनय दत्ता)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2021

पृ. क्र. एफ 1-3/2016/41-2

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एमपीएसईडीसी/आईटी/छूट/

दिनांक / /

Registration ID:MPSEDCITPC 20180000

(TO BE USED IN ALL COMMUNICATINO)

आई.टी. इकाई प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Regd. Off Address

Madhya Pradesh स्थित मेसर्स

की

Unit

Address -----

----- में प्रस्तावित इकाई के लिये
प्रस्तावित गतिविधियाँ(-----
-----)

-----) सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आती है तथा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2016 के अधीन शासन द्वारा अधिसूचित की जाने वाली छूट के लिए पात्र हैं।

यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि, इकाई की गतिविधि आवेदन में दर्शाई गई गतिविधि से भिन्न है तो इस प्रमाण-पत्र के आधार पर दी गई छूट/लाभ वापिस ली जा सकती है एवं भविष्य के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2012/56 दिनांक 7-12-2012 के अनुसार म0प्र0 राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम उपरोक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत संस्था है।

यह प्रमाण-पत्र इकाई के आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम गतिविधियों में शामिल रहने तक वैध रहेगा। तथापि यदि इकाई 5 वर्ष की अवधि तक आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम गतिविधियों का संचालन प्रारंभ नहीं करती है तो प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो जावेगी ।

मुख्य महाप्रबंधक,

म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेन्ट

कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

क्रमांक एमपीएसईडीसी/आईटी/छूट/

दिनांक / /

Registration ID:MPSEDCITPC 20180000

(TO BE USED IN ALL COMMUNICATINO)

ई.एस.डी.एम. इकाई प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Regd. Off Address

Madhya Pradesh स्थित मेसर्स

----- की

Unit

Address -----

----- में प्रस्तावित इकाई के लिये
प्रस्तावित गतिविधियों

(-----

-----) सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आती है तथा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2016 के अधीन शासन द्वारा अधिसूचित की जाने वाली छूट के लिए पात्र हैं।

यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि, इकाई की गतिविधि आवेदन में दर्शाई गई गतिविधि से भिन्न है तो इस प्रमाण-पत्र के आधार पर दी गई छूट/लाभ वापिस ली जा सकती है एवं भविष्य के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2012/56 दिनांक 7-12-2012 के अनुसार म0प्र0 राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम उपरोक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत संस्था है।

यह प्रमाण-पत्र इकाई के आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम गतिविधियों में शामिल रहने तक वैध रहेगा। तथापि यदि इकाई 5 वर्ष की अवधि तक आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम गतिविधियों का संचालन प्रारंभ नहीं करती है तो प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो जावेगी।

मुख्य महाप्रबंधक,

म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेन्ट

कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

क्रमांक एमपीएसईडीसी/आईटी/छूट/

दिनांक / /

Registration ID:MPSEDCITPC 20180000

(TO BE USED IN ALL COMMUNICATINO)

आई.टी.ई.एस. इकाई प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Regd. Off Address

Madhya Pradesh स्थित मेसर्स

----- की

Unit

Address -----

----- में प्रस्तावित इकाई के लिये
प्रस्तावित गतिविधियों

(-----

-----) सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आती है तथा सूचना प्रौद्योगिकी
निवेश नीति 2016 के अधीन शासन द्वारा अधिसूचित की जाने वाली छूट के लिए पात्र हैं।यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि, इकाई की गतिविधि आवेदन में दर्शाई गई गतिविधि से
भिन्न है तो इस प्रमाण-पत्र के आधार पर दी गई छूट/लाभ वापिस ली जा सकती है एवं भविष्य के लिए
अपात्र घोषित किया जा सकता है।मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2012/56 दिनांक 7-
12-2012 के अनुसार म0प्र0 राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम उपरोक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु
अधिकृत संस्था है।यह प्रमाण-पत्र इकाई के आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम गतिविधियों में शामिल रहने तक वैध
रहेगा। तथापि यदि इकाई 5 वर्ष की अवधि तक आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम गतिविधियों का
संचालन प्रारंभ नहीं करती है तो प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो जावेगी।

मुख्य महाप्रबंधक,

म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट

कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

Form-23

Eligibility Certificate for IT Investment Area Developers under Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Scheme, 2016

Ref. No.

Date

1. Registration ID

This is to Certify that M/s , registered with vide Registration No dated....., have Established/Proposed to Establish a Unit at Accordingly the Company is entitled for the following benefits under Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Scheme, 2016 for IT Investment Area mentioned above:

1. Rebate in cost of Land (if applicable)
2. Exemption in Stamp Duty and Registration Charges.
3. Relaxation in FAR

As per Order No....., MPSEDC is the authorized Agency to issue this Certificate.

This certificate will remain valid till the I.T. I. A. Developer is involved in IT Investment Area activities. However, if the I.T. I. A. Developer does not start conducting IT Investment Area activities for a period of 5 years, then the validity of the certificate will expire.

Seal/Stamp of the MPSEDC

Signature of the Authorized
Person